राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः–एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026–27 जयपुर हस्ताक्षरित दिनांक

दिशा–निर्देश

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026–27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. भारत सरकार द्वारा आरएमएस 2026–27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इस प्रकार खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर क्रय एजेंसीज के माध्यम से गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानो को उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585/–रूपए प्रति क्विंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा।
2. राज्य में आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2026 से 30 जून, 2026 तक किया जावेगा।
3. राज्य के किसान गेहूँ विक्रय हेतु दिनांक 01.02.2026 से 25.06.2026 तक प्रतिदिन 24 घण्टे (किसी भी समय) पंजीयन करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा। किसान पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
4. गेहूँ खरीद हेतु स्थापित किये गए क्रय केन्द्रों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्रय केन्द्रों में किये जाने वाले संशोधन की नवीनतम जानकारी भी पृथक से विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन की जावेगी।

जिला कलक्टर के दायित्वः–

1. अपने जिले में गेहूँ खरीद हेतु संचालित संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षणीय दायित्व संबंधित जिला कलक्टर का होगा।
2. जिला कलक्टर खरीद प्रक्रिया के सुगम संचालन हेतु जिले में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
3. जिला कलक्टर, उनके जिले में जिन एजेन्सियों द्वारा क्रय किया जाना प्रस्तावित है, उनके अधिकारियों के साथ में खरीद शुरू होने से पूर्व खरीद तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें उनकी कार्ययोजना, मानव संसाधन की उपलब्धता, क्रय केन्द्र की स्थापना हेतु मण्डी प्रांगण व फोकल पॉईन्टस पर जगह का चुनाव, हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्टेशन निविदा की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, गोदामों की मैपिंग, स्टोरेज के लिए स्थान की उपलब्धता तथा खरीद से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की समस्या व सुझाव का विश्लेषण करेंगे।
4. विगत वर्षों में देखा गया है कि मण्डी प्रांगण तथा फॉकल पॉईन्ट्स पर साफ–सफाई, छाया, पानी, वॉशरूम व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं (ड्रायर, क्लीनर और मोइश्चर मीटर का अभाव, तुलाई कांटा खराब होना, जल निकासी आदि) की बेहद अव्यवस्था व्याप्त रहती है, इसलिए क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए उक्त संदर्भित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता होना वांछनीय है। क्रय एजेंसीज द्वारा प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद के दौरान मण्डी टैक्स व कृषक कल्याण शुल्क जमा कराया जाता है। अतः जिला कलक्टर इस हेतु संबंधित मंडी सचिव को निर्देशित करें तथा वह संबंधित अधिकारियों सहित क्रय केन्द्रों का दौरा कर उक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2?:31:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20246004

5. जिला कलक्टर समाचार पत्रों, वेबसाइट व अन्य माध्यमों से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रय केन्द्र स्थान, किसान पंजीकरण व खरीद प्रक्रिया, नियत समयावधि में भुगतान आदि का पूर्ण प्रचार–प्रसार करेंगे।
6. जिला कलक्टर खरीद संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी के फोन नंबर प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित करावें, जिस पर किसान द्वारा संपर्क किया जा सके।
7. जिला कलक्टर किसानों को 48 घण्टों में समयबद्ध भुगतान व खरीद प्रक्रिया का सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे।
8. संपूर्ण खरीद प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा खरीद केन्द्रो पर सुगम यातायात व्यवस्थान बनाये रखना जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।
9. क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की FAQ (Fair Average Quality) निर्धारण हेतु विवाद की स्थिति में संबंधित कृषि उपज मण्डी सचिव को नियुक्त किया जावें तथा जहां मण्डी सचिव का पद रिक्त है या एक मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक क्रय केन्द्र है, वहां जिलें में पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया जावें।
10. किसानों को समयबद्ध रूप से खरीद हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे गिरदावरी, भूमि अभिलेख आदि जारी करने हेतु सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देशित करेंगे।
11. खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए व इस सम्बन्ध में तत्काल विभाग को सूचित किया जावें।

दिशा–निर्देश समस्त क्रय एजेंसीज के लिए :–

1. खरीद कार्य के पर्यवेक्षण हेतु राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी।
2. किसानो को समयबद्ध रूप से 48 घण्टों में उनसे क्रय की गई उपज का भुगतान सुनिश्चित करेंगी।
3. क्रय केन्द्र स्थापना हेतु खरीद शुरू होने से पूर्व जिला प्रशासन (मंडी सचिव व जिला रसद अधिकारी) के साथ क्रय केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक पर्याप्त स्थान, वहाँ किसानों और उनके वाहनों के सुगम प्रवेश व निकास, पार्किंग की सुविधा एवं अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं (छाया, पानी, वॉशरूम, तुलाई कांटा, ड्रायर, क्लीनर, मोइश्चर मीटर आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
4. एजेंसीज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रय केन्द्र स्थान, नोडल अधिकारी मय टेलीफोन नंबर, किसान पंजीकरण व खरीद प्रक्रिया, नियत समयावधि में भुगतान आदि का पूर्ण प्रचार–प्रसार करेंगे।
5. एजेंसीज निरन्तर जिला कलक्टर और खाद्य विभाग के साथ समन्वय में रहेंगी।
6. खरीद से संबंधित हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
7. खरीद हेतु बारदाना व भण्डारण व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम (राज.) द्वारा की जाएगी। अतः बारदाने व स्टॉरेज व्यवस्था हेतु भा.खा.नि. के साथ समन्वय में रहेंगे।
8. खरीद हेतु आवश्यक बारदाना की माँग समयबद्ध रूप से भा.खा.नि. को उपलब्ध कराया जाना व बारदाना उपलब्धता से सम्बंधित जानकारी राज्य खरीद पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
9. प्रत्येक क्रय केन्द्र के प्रवेश द्वार पर बैनर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगी जिसमें क्रय केन्द्र का नाम, नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर, खरीद लक्ष्य आदि की जानकारी प्रदर्शित हो।
10. किसान के क्रय केन्द्र पर आगमन होते ही, उसकी फोटो सहित जानकारी (किसान का नाम, आगमन की दिनांक व समय, उसके द्वारा विक्रय हेतु लायी गयी मात्रा आदि) संबंधित एजेंसी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से खरीद पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।
11. खरीद में किसी प्रकार की अव्यवस्था के क्रम में तत्काल जिला कलक्टर और खाद्य विभाग अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2?:31:59 IST
Reason: Approved

दिशा–निर्देश भारतीय खाद्य निगम (राज.) के लिए :–

1. भा.खा.नि. घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्रय केन्द्र स्थान, किसान पंजीकरण व खरीद प्रक्रिया, नियत समयावधि में भुगतान आदि का विस्तृत प्रचार–प्रसार करेगी।
2. खरीद कार्य के पर्यवेक्षण हेतु राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी, जिनकी सूचना खाद्य विभाग व जिला कलक्टर के साथ साझा करना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी क्रय एजेंसीज के लिए खरीद हेतु बारदाना व भण्डारण की व्यवस्था करेगी।
4. अन्य क्रय एजेंसीज से प्राप्त माँग अनुसार उन्हें समयबद्ध बारदाना आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
5. भण्डारण हेतु क्रय केन्द्रों व गोदामों की मैपिंग कर मूवमेंट प्लान की जानकारी खाद्य विभाग, जिला कलक्टर व समस्त एजेंसीज को खरीद शुरू होने से पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
6. विगत वर्षों में देखा गया है कि क्रय केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य से आवक अधिक होने, असामयिक आवक होने आदि परिस्थितियों में बारदाना व भण्डारण के अभाव में खरीद प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः भा.खा.नि. ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0।
7. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
8. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राज0, जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राज0, जयपुर।
13. निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
15. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
17. शाखा प्रबंधक, NCCF, जयपुर।
18. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।
19. रक्षा पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2?:31:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20246004